सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2024/27 दर्ज तिथि:– 29.07.2024

1. धन्नानाथ पुत्र मालनाथ जाति जोगी निवासी महरावणसर तहसील व जिला चूरू (राज.)

................प्रार्थी

बनाम

1. भगवानी पत्नी नेतरात जाति जाट निवासी महरावणसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. सुखमा पत्नी कृष्णदास जाति जाट निवासी महरावणसर तहसील व जिला चूरू (राज.)

.... अप्रार्थीगण

3. ईश्वर नाथ पुत्र मालनाथ जाति जोगी निवासी महरावणसर तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक, शाखा चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज)

.... गौण अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीगण:– श्री कानसिंह राठौड़
अप्रार्थीगण:–श्री योगेश राहड़ अप्रार्थी सं. 1,2
श्री जगदीश रावत अप्रार्थी सं. 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि:– 29.01.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि खसरा संख्या 222/0.2023 हैक्ट. व खसरा संख्या 536/239/2.4029 हैक्ट. कुल खसरा 2 कुल तादादी 2.6052 हैक्ट. रोही महरावणसर प्रार्थी धन्नानाथ की कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। कृषि भूमि खसरा संख्या 535/239 ईश्वर नाथ पुत्र मालनाथ गौण अप्रार्थी की कृषि भूमि तादादी 2.5925 हैक्ट. रोही महरावणसर व खसरा संख्या 238 गोपीराम पुत्र [illegible] तादादी [illegible] रोही ग्राम महरावणसर प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की स्वयं की कब्जे [illegible] कृषि भूमि है। [illegible] जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:11 IST
Reason: SelfAttested

2. मुख्य अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 529 / 239 तादादी 0.2529 हैक्ट. रोही ग्राम महरावणसर में स्थित है। कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 सुकमा देवी की खसरा संख्या 530 / 239 तादादी 0.2529 हैक्ट. रोही ग्राम महरावणसर में स्थित है व मुख्य अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 533 / 239 तादादी 0.9232 हैक्ट. रोही ग्राम महरावणसर में स्थित है।
3. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जो कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में निर्बाध रूप से चली आ रही है।
4. प्रार्थी धन्नानाथ ने एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.06.2024 को तहसीलदार चूरू बाबत दिया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान शुल्क जमा करवा दिया गया व रिपोर्ट पटवारी दिनांक 28.06.2024 में प्रार्थी आवेदक की कृषि भूमि खसरा संख्या 536 / 239 व खसरा संख्या 222 भूमि मौके पर कम पाई गई। सीमाज्ञान फर्द पर पटवारी हल्का व मौजूद खातेदारान के हस्ताक्षर है जिसकी प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जा रही है। सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे में कम पाये जाने से यह प्रार्थना–पत्र उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी के लिए याचिका न्यायालय में पेश की जा रही है। सीमाज्ञान रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है।
5. प्रार्थी की कृषि भूमि उत्तरादी सींव को मुख्य अप्रार्थीगण ने नाप में गड़बड़ की है व काट छांट कर नई सींव कायम करना चाहते है जिसका प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थी ईश्वर नाथ ने एतराज किया तो मुख्य अप्रार्थी नेतराम व सुखमा देवी ने मानने से स्पष्ट इंकार कर दिया, इस कारण यह विविध प्रार्थना–पत्र सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाये जाने पर प्रार्थी व अप्रार्थी का विवाद सामाप्त होने की संभावना बनती है।
6. प्रार्थी की उत्तरादी सींव को अप्रार्थीगण ने कांट छांट कर छिन्न भिन्न व अस्पष्ट कर दी गई है, इसलिए प्रार्थीगण को यह जरूरी हो गया है कि पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान करवाया जावे। करीबन 01 बीघा से अधिक भूमि प्रार्थी की कम नाप में है।
7. प्रार्थी आवेदक सीधा साधा किसान व्यक्ति है जबकि मुख्य अप्रार्थीगण बीच की सींव व सीमा को नष्ट जर्जर हालत में कर दी है इस कारण हर समय प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण में गंभीर सीमा विवाद रहता है इसलिए 536 / 239 व खसरा संख्या 222 की उत्तरादी सींव पर खसरा संख्या 529 / 239 व 530 / 239 व 533 / 239 रोही ग्राम महरावणसर का सही सीमाज्ञान करवाया जाकर पुख्ता चिन्ह पत्थरगढ़ी आवेदन पेश किया गया है।
8. प्रार्थी गौण अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि रहन होने के कारण बैंक शाखा प्रबन्धक को पक्षकार संख्या 4 बनाया गया है।
9. सभी प्रक्रिया तहसीलदार के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थीगण संख्या 5 बनाया गया है।
10. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैया है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी।
11. विवादित कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना–पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना–पत्र उचित शुल्क पर प्रस्तुत है।
12. अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खसरा संख्या 536 / 239 तादादी 2.4029 हैक्ट. व खसरा [illegible] तादादी 0.2023 हैक्ट. कुल तादादी 2.6052 हैक्ट. रोही ग्राम महराव[illegible] करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:11 IST
Reason: SelfAttested

13. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की अधिवक्ता श्री योगेश राहड़ ने वकालतनामा पेश किया व अप्रार्थीगण संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश रावत ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 4 पर विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया जिसके कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 03 ईश्वर नाथ की ओर से जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदन याचिका की मद सं. 1 स्वीकार है खसरा संख्या 222 खसरा संख्या 536 / 239 कुल तादादी 2.6052 हैक्ट. रोही ग्राम महरावणसर प्रार्थी धन्नानाथ की कब्जे काश्त की भूमि है व खसरा संख्या 535 / 239 मुझ ईश्वरनाथ अप्रार्थी की कृषि भूमि व खसरा संख्या 238 गोपीराम पुत्र लूणाराम की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होना स्वीकार है। चालू जमाबंदी स्वीकार है। मद संख्या 2 स्वीकार है मुख्य अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 की कृषि भूमि खसरा संख्या 529 / 239 व खसरा संख्या 530 / 239 व खसरा संख्या 533 / 239 रोही ग्राम महरावणसर में स्थित होना स्वीकार है। मद संख्या 3 स्वीकार है। आवेदन की मद सं. 4 स्वीकार है। प्रार्थी धन्नानाथ ने एक आवेदन दिनांक 28.06.2024 को तहसीलदार चूरू को पेश किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट होकर प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान शुल्क जमा करवा दिया गया। प्रार्थी धन्नानाथ की कृषि भूमि मौके पर कम पाई गई इस कारणप्रार्थी ने यह आवेदन सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के लिए नियमानुसार पेश किया है। आवेदन की मद सं. 5 सही होने से स्वीकार की जाती है। प्रार्थी की कृषि भूमि की उत्तरादी सींव में कांट छांट कर नई सींव कायम करने की चेष्टा की गई है व मुख्य अप्रार्थी सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी में एतराज करते है इस कारण यह आवेदन पेश किया है। आवेदन की मद संख्या 6 स्वीकार है प्रार्थी व अप्रार्थी में गम्भीर सीमा विवाद होने से न्यायालय के द्वारा वादगत कृषि भूमि बाबत सही सीमाज्ञान व पुख्ता पत्थरगढ़ी चिन्ह का आदेश किया जाना न्याय संगत है। आवेदन की मद सं. 7 व 8 कानूनी होने से स्वीकार है मद सं. 9 व 10 स्वीकार है। आवेदन की मद सं. 11 व 12 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा संख्या 536 / 239 तादादी 2.4029 हैक्ट. व खसरा संख्या 222 तादादी 0.2023 हैक्ट. कुल तादादी 2.652 हैक्ट. रोही ग्राम महरावणसर तहसील चूरू का सीमाज्ञान करवाये जाने पर पुख्ताचिन्ह सीमाचिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाये जाने पर अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है।

14. मुख्य अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से प्रार्थना—पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थना—पत्र की मद संख्या 1 में प्रार्थी द्वारा मूल सम्पूर्ण खसरा तथा खातेदारों का पूर्ण विवरण आधा अधूरा लिखा हुआ है इस कारण मद सं. 1 अस्पष्ट लिखी हुई होने के कारण अस्वीकार की जाती है। खेत ख. नं. 222 तादादी 0.16 विश्वा ख. नं. 239 तादादी 40 बीघा 5 बिश्वा कुल तादादी 41 बीघा 01 बिश्वा रोही मौजा महरावणसर में बहुत से खातेदार है उसका ना तो विवरण दिया है ना ही उसको पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना—पत्र की मद सं. 2 में भी मुख्य अप्रार्थीगण की भूमि का अस्पष्ट आधा अधूरा विवरण दिया हुआ होने के कारण अस्वीकार है सही हकीकत यह है कि ख. नं. 222 तादादी 16 बिश्वा व खेत ख.नं. 239 तादादी 40 बीघा 05 बिश्वा कुल तादादी 41 बीघा 1 बिश्वा रोही मौजा महरावणसर में से जरिए बैनामा खातेदार प्रार्थी के भाई रेवन्तनाथ पुत्र मालनाथ से दिनांक 9.9.2008 को कृषि भूमि भगवानी पत्नी नेतराम, सावित्री पत्नी रामकुमार, सुखमा पत्नी कृष्ण जा[illegible] बीघा जमीन बहिस्सा बराबर बराबर खरीदी तथा मुख्य अप्रार्थी सं. 2 सुखमा ने [illegible] जमीन पर पूरी चारों ओर पक्की दीवार दिनांक 15.03.2009 को बन[illegible] कर लिया उसमें काश्त के साथ रहवास भी परिवार सहित कर रही है तथा अप्रार्थी सं. 1 भगवानी ने प्रार्थी की सीमा के बीच दिनांक 09.09.2008 को पट्टी रोप कर [illegible] तारबन्दी कर रखी है तथा प्रार्थी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:11 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य अप्रार्थी संख्या 1 भगवानी की सीमा पर भगवानी देवी ने 8–10 मकान पक्के बना रखे है पक्की कोठी बना कर वर्ष 2009 से परिवार सहित रहवास कररही है तथा सावित्री पत्नी रामकुमार भी अपनी 1 बीघा कृषि भूमि पर पुख्ता पट्‌टी रोपकर वर्ष 2009 में पक्के मकानात बना कर रिहायश किया जा रहा है मौके पर कब्जा अनुसार ही प्रार्थी व मुख्य अप्रार्थीगण व अन्य खातेदारों दिनांक 06.02.2013 को खाता विभाजन करवाया मुख्य अप्रार्थी सं. 1 व सावित्री पत्नी रामकुमार की जगह भी मौके पर कुछ कम है जबकि मुख्य अप्रार्थीया सं. 2 सुखमा की 1 बीघा भूमि मौके पर पूरी है प्रार्थी धन्नानाथ एक चालबाज व्यक्ति है जिसने खाता विभाजन के वक्त मौके पर कब्जा अनुसार तरमीम न करवा कर गलत तरमीम जानबूझ कर करवायी गई अब प्रार्थी की नजर मुख्य अप्रार्थीगण की कोठी व हवेली हड़पने की है जबकि खाता विभाजन करवाने व दस्तावेज तैयार करवाने हेतु सभी खातेदारों ने आगे प्रार्थी धन्नानाथ को कर रखा था जानबूझ कर प्रार्थी धन्नानाथ ने गलत तरमीम करवाई गई जबकि प्रार्थी धन्नानाथ ने करीब डेढ बीघा जमीन सगे भाई खमाणनाथ के हक में हल्की कृषि भूमि होने से अधिक दी गई जो खाता विभाजन में धन्नानाथ जानबूझ कर नहीं दिखाई मौके पर प्रार्थी के भाई खमाणनाथ के कब्जे काश्त के खसरे में करीब 2 बीघा जमीन अधिक है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को है जानबूझ कर प्रार्थी ने अपने भाई खमाणनाथ व उसके वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया जब मुख्य अप्रार्थीगण ने वर्ष 2009 में कब्जे अनुसार पक्का निर्माण (हवेली का निर्माण) व चार दीवारी व पट्‌टी रोपकर तारबन्दी की जा चुकी थी फिर वर्ष 2013 में खाता विभाजन हुआ तथा वर्तमान में मौका पर भूमि भी अधिक नहीं है प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमा पर बनी मुख्य अप्रार्थीगण की पक्की हवेली (कोठी) पर जी चलाने का मन करने लगा है जबकि प्रार्थी को सीमा ज्ञज्ञन का आवेदन न कर के गलत हुई तरमीम को सही करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी लेकिन इस प्रार्थना–पत्र के निस्तारण से पूर्व मौके की रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है जब पूर्ण सच्चाई सामने आ जावेगी। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 3 में प्रार्थी ने अपने सगे भाई सहखातेदारों के नाम नहीं लिखे हुवे होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की करबी डेढ बीघा कृषि भूमि अपने सगे भाई खमाणनाथ की हल्की जमीन होने के कारण अधिक दी गई प्रार्थी की कृषि भूमि आबादी के निकट व अच्छी किस्म की होनेके कारण कम ली लेकिन खाता विभाजन के समय प्रार्थी ने अपना हिस्सा गलत तरमीम करवा लिया जिसका फायदा उठा कर प्रार्थी मुख्य अप्रार्थीगण को जानबूझ कर परेशान कर रहा है जबकि मुख्य अप्रार्थीगण के पास 1 भी इंच जमीन अधिक नहीं है। मौके पर पक्की चार दीवारी तथा पट्‌टी रोपकर तारबंदी पुख्ता सींव वर्ष 2009 से चली आ रही है प्रार्थी को पत्थरगढ़ी की जगह सही तरमीम करने की कार्यवाही की सलाह दी जानी उचित है। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 4 में तथ्य गलत लिखे हुये होने से अस्वीकार है पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अवगत करवा दिया कि आपकी कृषि भूमि जो कम पड़ रही है उसकी पूर्ति आपके सगे भाई खमाणनाथ के हिस्से से पूरी हो रही है खमाणनाथ के हिस्से में करीब 2 बीघा जमीन अधिक है नपति के वक्त पटवारी हल्का ने मुख्य अप्रार्थीगण की कृषि भूमि अधिक होना नहीं बताया कुछ कम ही बताई प्रार्थी को पटवारी ने तरमीम सही करवाने की सलाह दी थी लेकिन अपने भाई खमाणनाथ को अधिक दी जमीन पोल सामने आने के कारण इस प्रार्थना–पत्र में जानबूझ कर भाई खमाणनाथ को पक्षकार ही नहीं बनाया जबकि मुख्य अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पुख्ता पक्के निर्माण सहित सींव है और मौके पर नपति भूमि भी अधिक नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 5 [illegible] तथ्य गलत लिखे हुये होने के कारण अस्वीकार है जबकि सही हकीकत यह है कि मुख्य अप्रार्थीगण सं. 1 ने सीमा पर पक्के हवेली का निर्माण वर्ष 2009 में पूरा कर लिया तथा मुख्य अप्रार्थी सं. 2 ने चार दीवारी पक्की बना कर एक हवेली (कोठी) का निर्माण वर्ष 2009 में [illegible] था उसके पश्चात वर्ष 2013 में खाता विभाजन हुआ जिसमें गलत तरमीम प्रार्थी ने जानबूझ कर करवाई जबकि प्रार्थी ने डेढ बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:11 IST
Reason: SelfAttested

जमीन अपने हिस्से की अपने सगे भाई खमाणनाथ के कब्जे में दे रखी है जिसको इस प्रार्थना–पत्र में पक्षकार ही नहीं बनाया है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 6 में दर्ज तमाम तथ्य गलत लिखे हुवे होने से अस्वीकार है सही हकीकत यह है कि प्रार्थी ने अपने पास अच्छी किस्म भूमि होने से अपने सगे भाई खमाणनाथ के पास हल्की किस्म की भूमि होने से करीब डेढ बीघा कृषि भूमि प्रार्थी द्वारा अपने सगे भाई खमाणनाथ के कब्जे में दी जिसका खाता विभाजन में प्रार्थी ने जानबूझ कर अंकन नहीं करवाया मौके पर तरमीम प्रार्थी ने गलत करवाई जिसका नाजायज फायदा उठा कर मुख्य अप्रार्थीगण को प्रार्थी बेवजह परेशान कर रहा है जबकि मुख्य अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व कई अन्य खातेदारों ने पक्के निर्माण करवा रखे है जिसका हवाला प्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र में जानबूझ कर नहीं दिया है जबकि प्रार्थी को पटवारी हल्का व गिरदावर ने भी सही तरमीम करवाने की सलाह दी थी। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 7 में दर्ज तमाम प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्य गलत लिखे है इस कारण अस्वीकार है जबकि प्रार्थी व मुख्य अप्रार्थीगण की बीच पक्की दीवार व पट्टी रोपकर तारबन्दी व तारबन्दी के ऊपर कुछ दूरी से बाड़ कर रखी है तथा सीमा पर पक्की हवेली (कोठी) का निर्माण भी मुख्य प्रार्थीगण ने वर्ष 2009 से कर रखा है तथा मौके पर भी जो भूमि मुख्य विपक्षीगण के कब्जे में है वो भी पूरी न होकर कुछ कम है बैनामा में आये हिस्से से अधिक नहीं है प्रार्थी ने जानबूझ कर तरमीम ही गलत करवाई है जिसको सही करवाया जाना आवश्यक है। विशेष कथन : मूल खेत ख. नं. 222 तादादी 16 बिश्वा व खेत ख. नं. 239 तादादी 40 बीघा 05 बिश्वा कुल तादादी 41 बीघा 1 बिश्वा रोही मौजा महरावणसर में से जरिये बैनामा प्रार्थी के भाई रेवन्तनाथ पुत्र मालनाथ से दिनांक 09.09.2008 को कृषि भूमि भगवानी पत्नी रेवन्तनाथ, सावित्री पत्नी रामकुमार, सुखमा पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासीगण महरावणसर ने 3 बीघा कृषि भूमि संयुक्त रूप से ब.हि.ब. खरीदी तथा मुख्य अप्रार्थी सं. 2 सुखमा ने अपनी 1 बीघा जमीन पर पूरी चारों ओर से पक्की दीवार दिनांक 15.03.2009 को बना कर एक पूरा भवन का पक्का निर्माण कर लिया उसमें काश्त के साथ रहवास भी परिवार सहित कर रही है तथा मुख्य अप्रार्थी सं. भगवानी ने प्रार्थी की सीमा*की बीच दिनांक 9.9.2008 को पट्टी रोपकर पुख्ता तारबन्दी कर रखी है तथा प्रार्थी व मुख्य अप्रार्थी सं. 1 भगवानी की सीमा पर भगवानी देवी ने 8–10 पक्के मान बना कर पूरी कोठी बना रखी है पक्की कोठी बना कर वर्ष 2009 से परिवार सहित रहवास कर रहे है तथा सावित्री पत्नी रामकुमार भी अपनी 1 बीघा कृषि भूमि पर पुख्ता पट्टी रोपकर वर्ष 2009 से पक्के मकानात बना कर रिहायश किया जा रहा है मौके पर कब्जा अनुसार ही प्रार्थी व मुख्य अप्रार्थीगण व अन्य खातेदारों ने दिनांक 06.02.2013 को खाता विभाजन करवाया मुख्य अप्रार्थीया सं. 1 व सावित्री पत्नी रामकुमार की जगह भी मौके पर कुछ कम है जबकि मुख्य अप्रार्थीया सं. 2 सुखमा की 1 बीघा कृषि भूमि मौके पर पूरी है प्रार्थी धन्नानाथ एक चालबाज व्यक्ति है जिसने खाता विभाजन के वक्त मौका पर कब्जानुसार तरमीम न करवा कर गलत तरमीम जानबूझ कर करवाई गई अब प्रार्थी की नजर मुख्य प्रार्थीगण की कोठी व हवेली हड़पने की है जबकि खाता विभाजन करवाने व दस्तावेज तैयार करवाने हेतु सभी खातेदारों ने प्रार्थी धन्नानाथ को अधिकृत कर रखा था जानबूझ कर प्रार्थी धन्नानाथ ने गलत तरमीम करवाई गई जबकि प्रार्थी धन्नानाथ ने करीब डेढ बीघा कृषि भूमि सगे भाई खमाणनाथ के हक में हल्की कृषि भूमि होने के कारण अधिक दी गई जो खाता विभाजन में धन्नानाथ ने जानबूझ कर नहीं दिखाई मौके पर प्रार्थी के भाई खमाणानाथ के कब्जे काश्त [illegible] अधिक है जिसकी जानकारी प्रार्थी को है जानबूझ कर प्रार्थी ने अपने भाई खमाण[illegible] के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया है जब मुख्य अप्रार्थीगण ने वर्ष 20[illegible] (हवेली का निर्माण) व चार दीवारी व पट्टी रोपकर तारबन्दी की जा चुकी थी फिर [illegible] 2013 में खाता विभाजन हुआ तथा वर्तमान में मौका पर भूमि भी अधिक नहीं है कुछ कम [illegible] है प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमा पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:11 IST
Reason: SelfAttested

बनी मुख्य अप्रार्थीगण की पक्की हवेली (कोठी) जी चलाने का मन करने लगा है। जबकि प्रार्थी को सीमा ज्ञान का आवेदन न करके गलत हुई तरमीम को सही करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी ऐसा न कर गलत तरमीम का फायदा उठा कर प्रार्थी मुख्य अप्रार्थीगण की पक्की कोठीया हड़पना चाहता है इस कारण प्रार्थना–पत्र के निस्तारण से पूर्व मौका की रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है तब पूर्ण सच्चाई सामने आवेगी–प्रार्थी ने अपने हिस्से की करीब डेढ बीघा कृषि भूमि अपने सगे भाई खमाणनाथ की हल्की जमीन होने के कारण अधिक दी गई प्रार्थी की कृषि भूमि आबादी के निकट व अच्छी किस्म की होने के कारण कम ली लेकिन खाता विभाजन के समय प्रार्थी ने अपना हिस्सा गलत तरमीम करवा लिया जिसका फायदा उठा कर प्रार्थी मुख्य अप्राथ्रीगण को जानबूझ कर परेशान कर रहा है। जबकि मुख्य अप्रार्थीगण के पास 1 भी इंच जमीन अधिक नहीं है मौके पर चार दीवारी तथा पट्टी रोपकर तारबन्दी पुख्ता सींव वर्ष 2009 से चली आ रही है उसी का खाता विभाजन के समय नाम किया गया था प्रार्थी ने षडंयत्र रच कर भूमि का मौके पर कब्जा अनुसार तरमीम नहीं करवाया प्रार्थी ने जिस भाई खमाणनाथ को अधिक कृषि भूमि कब्जे में दी उसको व उसके वारिसों को इस प्रार्थना–पत्र में पक्षकार ही नहीं बनाया मूल खसरा के जितने खातेदार है उनको इस प्रार्थना–पत्रत्र में पक्षकारन बना कर प्रार्थी को त्रुटि की है आवश्यक पक्षकारों के अभाव में यह प्रार्थना–पत्र कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है प्रार्थी द्वारा इसी मूल खसरा की जमीन अपने हिस्से में से अपने सगे बड़े भाई खमाणनाथ को खमाणनाथ के पास हल्की किस्म की जमीन के बदले में दी गई है उसका अंकन इस प्रार्थना–पत्र में नहीं किया मौके पर प्रार्थी के भाई खमाणनाथ के खसरे में 2 बीघा जमीन अधिक है उसको जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया है जो बदनियती से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है मुख्य अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पास खातेदारी के अलावा अधिक कृषि भूमि नहीं है कुछ पत्थरगढ़ी का प्रार्थना–पत्र जानबूझ कर आवश्यक सहखातेदारों को पक्षकार न बना कर बदनियती से पेश किया है मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुख्य अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पास बैनामा व खातेदारी से अधिक जमीन न होने के कारण व कुछ जमीन कम होने से तथा खाता विभाजन में गलत तरमीम होने के कारण तथा प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की करीब डेढ बीघा कृषि भूमि अपने भाई खमाणनाथ के पास हल्की किस्म कृषि भूमि के कारण अधिक दी गई जिसका अंकन खाता विभाजन में न करने के कारण तथा आवश्यक सहखातेदारों को पक्षकार के अभाव में यह प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार, चूरू भूमिधारी है।

15. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुख्य अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पास बैनामा व खातेदारी से अधिक जमीन न होने के कारण व कुछ जमीन कम होने से तथा खाता विभाजन में गलत तरमीम होने के कारण तथा प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की करीब डेढ बीघा कृषि भूमि अपने भाई खमाणनाथ के पास हल्की किस्म कृषि भूमि के कारण अधिक दी गई जिसका अंकन खाता विभाजन में न करने के कारण तथा आवश्यक सहखातेदारों को पक्षकार के अभाव में यह प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

16. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में संबंधित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:11 IST
Reason: SelfAttested

***111. Decision of disputes as to boundaries.**—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

17. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

***128. Boundary disputes.** - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

***Provided that** applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

18. प्रार्थी धन्नानाथ पुत्र मालनाथ जाति जोगी निवासी महरावणसर तहसील व जिला चूरू द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह निवेदन किया गया है कि उसकी खातेदारी व कब्जा–काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 536 / 239 तादादी 2.4029 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 222 तादादी 0.2023 हैक्टेयर कुल तादादी 2.6052 हैक्टेयर रोही ग्राम महरावणसर की उत्तरादी सीमा पर मुख्य अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा नाप–जोख में गड़बड़ी कर सींव को काट–छांट कर नष्ट कर दिया गया है, जिससे गंभीर सीमा विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.06.2024 को तहसीलदार, चूरू के समक्ष सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रार्थी की कृषि भूमि मौके पर राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबे से कम पाई गई। सीमाज्ञान शुल्क जमा किया गया [illegible] खातेदारों के हस्ताक्षर भी हैं।

गौण अप्रार्थी संख्या 3 ईश्वरनाथ पुत्र मा[illegible] जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र में वर्णित अधिकांश तथ्यों को स्वीका[illegible] किया गया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं [illegible] जाना [illegible]संगत है, जिस पर इन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:11 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना—पत्र का विरोध किया गया है। उनके अनुसार खाता विभाजन वर्ष 2013 में कब्जानुसार हो चुका है तथा उनकी भूमि पर वर्ष 2009 से पक्के निर्माण, चारदीवारी एवं तारबंदी विद्यमान है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा गलत तरमीम करवाई गई है तथा आवश्यक सह—खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस कारण प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाना चाहिए।

19. प्रकरण पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों, सीमाज्ञान रिपोर्ट, चालू जमाबन्दी तथा दोनों पक्षों की बहस पर विचार करने पर यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि दादालाई पैतृक भूमि है एवं उनकी कब्जा—काश्त निर्विवाद रूप से चली आ रही है। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दी गई, जिसमें भूमि मौके पर कम पाई गई। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व प्रकृति की कार्यवाही है, जिसका उद्देश्य केवल राजस्व अभिलेख के अनुसार सीमा का निर्धारण करना है, न कि स्वामित्व अथवा खाता विभाजन के विवाद का निस्तारण करना। मुख्य अप्रार्थीगण द्वारा उठाए गए तरमीम, खाता विभाजन, सह—खातेदारों को पक्षकार बनाने आदि के तर्क इस प्रकरण में सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के आदेश में बाधक नहीं हैं। यदि किसी पक्ष को खाता विभाजन या तरमीम से संबंधित कोई आपत्ति है तो उसके लिए पृथक विधिक उपाय उपलब्ध हैं। यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सीमांकन की कार्यवाही से किसी भी पक्ष के अधिकारों का हनन नहीं होता, बल्कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार वास्तविक स्थिति स्पष्ट होकर भविष्य में संभावित विवाद की संभावना समाप्त होती है। इस प्रकार प्रार्थी की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 222/0.2023 हैक्ट. व खसरा संख्या 536/239/2.4029 हैक्ट. कुल खसरा 2 कुल तादादी 2.6052 हैक्ट. रोही महरावणसर पटवार मण्डल खण्डवा पट्टा पीथीसर तहसील चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू—अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 29.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)